उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय आयुक्त,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड

8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून

E mail- foodcommfcs@gmail.com Phone –0135 2740765, Fax- 2741390

पत्रांक–112) /आ0खा0/1115/2018 दिनांक : 09 अगस्त, 2018

सेवा में,

महानिदेशक
लोक सूचना एंव जनसंपर्क विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–583/18-XIX-2/61 खाद्य/2013 दिनांक 07–08–2018 के कम में उत्तराखण्ड, राज्य खाद्य आयोग, देहरादून में निकट भविष्य में रिक्त होने वाले अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना है, जिसके चयन हेतु प्रेस विज्ञिप्ति जारी की जानी प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 (3) में प्राविधानित नियमों के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष के चयन हेतु प्रेस विज्ञिप्ति दिनांक 10–08–2018 को एक प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक एंव एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाते हुये भुगतान हेतु बिल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें । इस हेतु हिन्दी/अंग्रेजी की प्रेस विज्ञप्ति की 02 प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त (आई0ए0एस0)

प्रतिलिपिः–प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर आयुक्त (आई0ए0एस0)

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, देहरादून में निकट भविष्य में रिक्त होने वाले अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किया जाना है, जिनमें निम्न शर्तें लागू होंगी–

1– राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 (2) के अनुसार की जायेगी।

2– राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अर्हता वही होगी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 (3) में प्राविधानित है, अर्थात अध्यक्ष की नियुक्ति 65 वर्ष की आयु अथवा पद ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष, जो भी पहले हो, की अवधि तक के लिए निम्नलिखित ऐसे व्यक्तियों मे से की जायेगी–

(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य है या रह चुके है या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किये हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल, आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या

(ख) जो सार्वजनिक जीवन में से ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हे कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा प्रबन्धन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य सम्बन्धी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण सम्बन्धी अधिकारों में सुधार लाने से सम्बन्धित कार्य का कोई प्रमाणिक रिकार्ड है।

उक्त के कम में इच्छुक आवेदक समस्त दस्तावेजों/अनुभव प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 25.08.2018 को सांय 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, 8 'ए' बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून को डाक के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव/आयुक्त।

Hs-UO-1